रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 1

PART III—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2] नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 19, 2000/आषाढ़ 28, 1922

No. 2] NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 19, 2000/ASADHA 28, 1922

संघ लोक सेवा आयोग

नोटिस

नई दिल्ली, 19 जुलाई, 2000

सं. एफ. 22/11/99-प. I (ख).—सिविल सेवा परीक्षा की मौजूदा योजना की समीक्षा करने के लिए संघ लोक सेवा आयोग ने एक समिति नियुक्त करने का निर्णय लिया है। इस समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे :—

(i)	प्रो. योगिन्दर कुमार अलघ	अध्यक्ष
(ii)	श्री तेजिन्दर खन्ना	सदस्य
(iii)	डा.बी.पी. माथुर	सदस्य
(iv)	डा. उपेश कोहली	सदस्य
(v)	प्रो.(सुश्री) अरमेती एस.देसाई	सदस्य
(vi)	डा.माधव मेनन	सदस्य
(vii)	श्री डी.सी.गुप्ता	सदस्य
(viii)	श्री आई.एम.जी.खान	सदस्य - सचिव

इस समिति के लिए विस्तृत विचारार्थ विषय सिविल सेवा परीक्षा की वर्तमान योजना तथा विगत अनुभवों तथा वर्त आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए इस योजना का कार्य पद्धति की जांच करना और उक्त योजना,पद्धति और तरीकों में परिवर्तनों /नवीनताओं की सिफारिश करना होगा , जैसा भी आवश्यक हो , जिससे योजना के एक भाग के रूप में विभि सेवाओं /पदों के लिए(अखिल भारतीय और केन्द्रीय सेवाओं/पदों,ग्रुप "क" एवं "ख"तथा केन्द्र शासित प्रदेशों में सेवाओं/प श्रेष्ठ और सर्वथा उपयुक्त व्यक्तियों की पहचान की जा सके ।

पूर्वोक्त उद्देश्य के अनुसरण में, समिति इनकी जांच करेगी और विशेषत: निम्नलिखित मुद्दों की सिफारिश करेगी ।

(i) चयन किए गए उम्मीदवारों की उपयुक्तता, प्रशिक्षण और कार्यकाल के दौरान उनके कार्य निष्पादन के प्रदर्शन के आधार पर 1993 से मौजूद योजना की प्रभावकारिता का मूल्यांकन ।

(ii) परीक्षा के प्रतियोगी तत्वों की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक एक रूपता प्राप्त करने के उपाय ।

(iii) व्यक्तित्व परीक्षण प्रक्रिया की प्रभावकारिता और क्षमता में सुधार लाने के तरीके और व्यक्तित्व परीक्षण के अंकों के अंतिम योग को महत्व (वेटेज) देने की समीक्षा ।

(iv) कार्य और प्रशिक्षण अपेक्षाओं आदि के संदर्भ में आयु सीमा, परीक्षा में बैठने के प्रयासों की संख्या, शैक्षिक योग्यताओं आदि के विशेष संदर्भ में सिविल सेवा परीक्षा के नियमों की समीक्षा ।

(v) सेवा विशेष की अपेक्षाओं और चयन किए गए उम्मीदवार के बीच अधिक निकट संबंध स्थापित करने के उद्देश्य से सेवाओं के आबंटन की उन्नत तरीके अपनाने की व्यवहार्यता । इस प्रयोजन के लिए उम्मीदवार की भूमिका व विभिन्न सेवाओं की भविष्य की संभावनाओं और विभिन्न स्तरों पर अधिकारियों द्वारा निष्पादित किए जाने वाले कार्यों के स्वरूप की पूरी जानकारी उपलब्ध कराना जिससे कि वे सुविचारित विकल्प का चुनाव करने में समर्थ हो सकें । इन संभावनाओं की जांच की जा सकती है और इनके लिए पद्धतियों का सुझाव दिया जा सकता है । इसके अतिरिक्त इस बात की जांच करना कि क्या एक सामुहिक मुख्य लिखित परीक्षा के साथ जो कि वर्तमान में आयोजित की जाती है, साक्षात्कार बोर्ड/व्यक्तित्व परीक्षण बोर्ड द्वारा उम्मीदवार का विशिष्ट मूल्यांकन किया जाए ताकि विभिन्न सेवाओं के लिए उसकी सापेक्ष उपयोगिता निर्धारित की जा सके ।

(vi) अधिकारियों का सेवा कालीन प्रशिक्षण संतोषजनक ढंग से पूरा करने का मूल्यांकन करने के संबंध में प्रशिक्षण आकादमियों/संस्थाओं के साथ संघ लोक सेवा आयोग के सहयोजित करने की वांछनीयता की जांच करना ।

(vii) प्रारंभिक /प्रधान परीक्षा के विषयों में संशोधन/शामिल करने/हटाने के बारे में सुझाव देना ।

3. समिति किसी ऐसे अन्य पहलू या उपाय पर विचार करने तथा उसकी अनुशंसा करने के बारे में स्वतंत्र होगी जो उसके विचार से परीक्षा के बारे में उपयुक्त है । समिति किसी ऐसे मुद्दे पर भी विचार कर सकती है जो उसे आयोग द्वारा सौंपा जाता है ।

4. इसकी क्रियाशीलता के लिए, समिति अपनी प्रक्रिया की युक्ति या उपाय निकालेगी और ऐसी अध्ययन समूह स्थापित करेगी तथा जरूरत पड़ने पर आयोग से परामर्श करके ऐसे विशेषज्ञों से सहायता लेगी ।

5 समिति अपनी रिपोर्ट छ : महीने के अंदर प्रस्तुत करेगी । यदि यह समयोचित रूप में पाया जाता है तो रिपोर्ट को अलग-अलग भागों में प्रस्तुत किया जा सकता है ।

आई. एम. जी. खान, सचिव

UNION PUBLIC SERVICE COMMISSION

NOTICE

New Delhi, the 19th July, 2000

No. F. 22/11/99-E. I (B).—The Union Public Service Commission have decided to appoint a Committee to review the existing scheme of Civil Services Examination. The Committee will consist of the following members :—

i)	Prof. Yoginder Kumar Alagh	Chairman
ii)	Shri Tejinder Khanna	Member
iii)	Dr. B.P. Mathur	Member
iv)	Dr. Uddesh Kohli	Member
v)	Prof. (Miss) Armaity S. Desai	Member
vi)	Dr. Madhava Menon	Member
vii)	Shri D.C. Gupta	Member
viii)	Shri I.M.G. Khan	Member-Secretary

2. The broad terms of reference for this Committee will be to examine the present scheme of the Civil Services Examination and the systems for working that scheme in the light of past experience and current requirements and recommend such changes/innovations in the said scheme, systems and methods as may be required for identifying the best and most suitable persons for appointment to various services/posts which form part of the Scheme (All India and Central Services/Posts, Group 'A' & 'B' and Services/Posts in Union Territories).

In pursuit of the aforesaid goal, the Committee may examine and give its recommendations on the following issues in particular:

i) Evaluation of the effectiveness of the scheme in existence since 1993 in terms of suitability of the candidates selected, as demonstrated by their performance during training and on the job.

ii) Measures for obtaining greater uniformity vis-a-vis the competitive elements of the examination.

iii) Methods for improving the effectiveness and efficiency of the PT process and a review of the weightage for PT marks in the final total.

iv) Review of the rules for the Civil Services Examination with particular reference to factors like age limit, number of attempts, educational qualifications etc. in the context of job and training requirements etc.;

v) Feasibility of adopting an improved method of allocation of services aimed at achieving a closer match between the selected candidate and the requirement of the particular service. For this purpose, the possibility of providing fuller information to a candidate on the role and career prospects etc. of different services and the nature of duties to be performed by officers at various levels to enable them to make an informed choice, can be examined and methods for the same suggested. Further, to examine, whether with a common main written examination as at present, differential assessment of candidates by Interview Board/Personality Test Board for determining relative suitability of candidates for different services can be a viable mechanism towards this end.

vi) To examine desirability of associating the Union Public Service Commission with assessment of officers in terms of satisfactory completion of their induction training in the Training Academies/ Institutions.

vii) To suggest modifications/additions/deletions in subjects in the Preliminary/Main Examination.

3. The Committee will be free to consider and make recommendations on any other aspect or measure which in its opinion has a bearing on the examination scheme. The Committee may also consider any other issue which may be referred to it by the Commission.

4. For its functioning, the Committee will devise its own procedures and it may set up such study groups and take the assistance of such experts as it may consider necessary in consultation with the Commission.

5. The Committee will submit its report within six months. The report may be submitted in parts, if that is found expedient.

I. M. G. KHAN, Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054 — 2000